अध्याय 1

परिचय

1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

यह अध्याय वर्ष 2022–23 के दौरान छतीसगढ शासन (छ.ग.शा.) के राजस्व प्राप्तियों का अवलोकन प्रस्तुत करता है, 2018–19 से 2022–23 तक की पांच वर्षों की अवधि में प्राप्तियों का विश्लेषण करता है, और 31 मार्च 2023 तक लंबित राजस्व कर के बकाया का विवरण प्रस्तुत करता है। निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा प्राप्त निष्कर्षो पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया पर भी चर्चा की गयी है।

अध्याय 2 एवं अध्याय 3 में राज्य कर विभाग (जीएसटी) के लेखापरीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रेक्षणों का वर्णन किया गया है।

1.2 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति

अर्जित राजस्व (कर एव कर भिन्न), वर्ष 2022–23 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश का निवल आगम एवं सहायता अनुदान जो भारत सरकार से प्राप्त हुए, का सारांश एवं राज्य शासन के पिछले चार वर्षों के आंकडे ***तालिका 1.1*** में वर्णित है:

तालिका 1.1–राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

स.क.	विवरण	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23
1.	**राज्य शासन द्वारा संग्रहित राजस्व**					
	स्वयं का कर राजस्व	21,427.26	22,117.85	22,889.20	27,083.73	33,122.30
	विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	**7.70**	**3.22**	**3.49**	**18.33**	**22.30**
	कर भिन्न राजस्व	7,703.02	7,933.77	7,136.95	13,851.21	15,248.24
	विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	**21.49**	**3.00**	**–10.04**	**94.08**	**10.09**
योग		**29,130.28**	**30,051.62**	**30,026.15**	**40,934.93**	**48,370.54**
2.	**भारत सरकारों से प्राप्तियों**					
	विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्सा का निवल आगम	23,458.69	20,205.84	20,337.54	28,570.79	32,358.26
	सहायता अनुदान	12,505.96	13,611.24	12,812.49	10,146.30	13,148.32
योग		**35,964.65**	**33,817.08**	**33,150.03**	**38,717.09**	**45,5006.59**
3.	**राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1+2)**	**65,094.93**	**63,868.70**	**63,176.18**	**79,652.03**	**93,877.13**
4.	**1 का 3 से प्रतिशत**	**45**	**47**	**48**	**51**	**52**

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के सम्बंधित वर्ष के वित्त लेखे)

- राज्य के स्वयं के राजस्व कर में 2018–23 के दौरान बढती प्रवृति दिखाई दी एवं 2022–23 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 22.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- राज्य के कर भिन्न राजस्व में 2018–20 और 2021–23 के दौरान पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि देखी गई, सिवाय 2020–21 के। हालांकि, 2022–23 में पिछले वर्ष की तुलना में 10.09 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, जो मुख्यतः वानिकी तथा वन्य प्राणी विभाग एवं जल संसाधन विभाग की राजस्व वृद्धि के कारण थी।
- वर्ष 2022–23 के दौरान 52 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के स्वयं के स्रोत से प्राप्त हुई जिसमें कर एवं कर भिन्न राजस्व शामिल है। इस दौरान राज्य के संघीय करों एवं शुल्कों तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का कुल राजस्व में 48 प्रतिशत का योगदान रहा।

राज्य के राजस्व प्राप्तियों के विभिन्न विच्छेदों का चित्रमय प्रदर्शन ***चार्ट 1.1*** में दर्शाया गया है

चार्ट 1.1: वर्ष 2022–23 के राज्य के राजस्व का विच्छेद

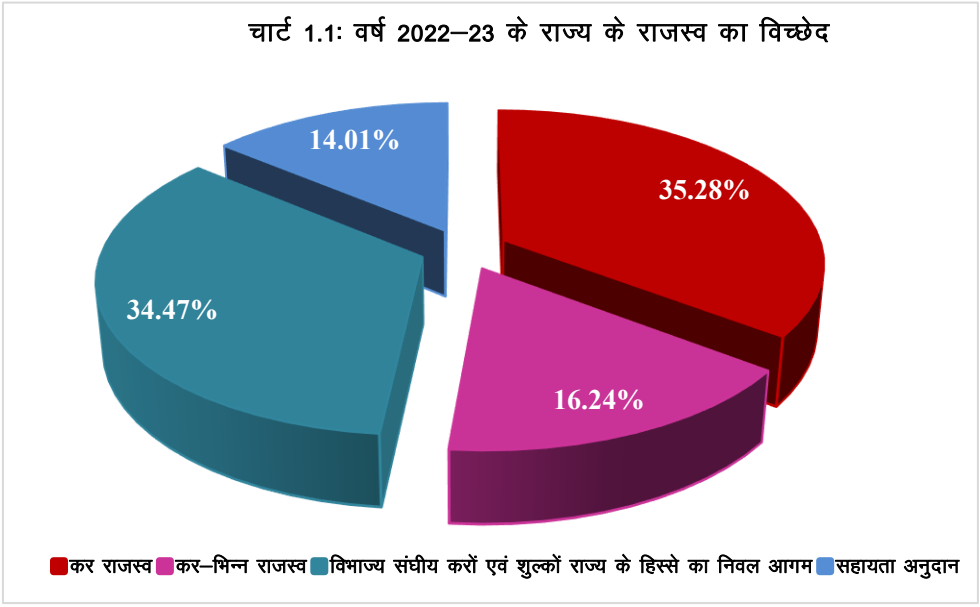

1.2.1 स्वयं का राजस्व कर

वर्ष 2022–23 के लिए कर राजस्व के विभिन्न विच्छेदों का चित्रमय प्रदर्शन ***चार्ट 1.2*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2 : वर्ष 2022–23 के कर राजस्व का विच्छेद (₹ करोड़ में)

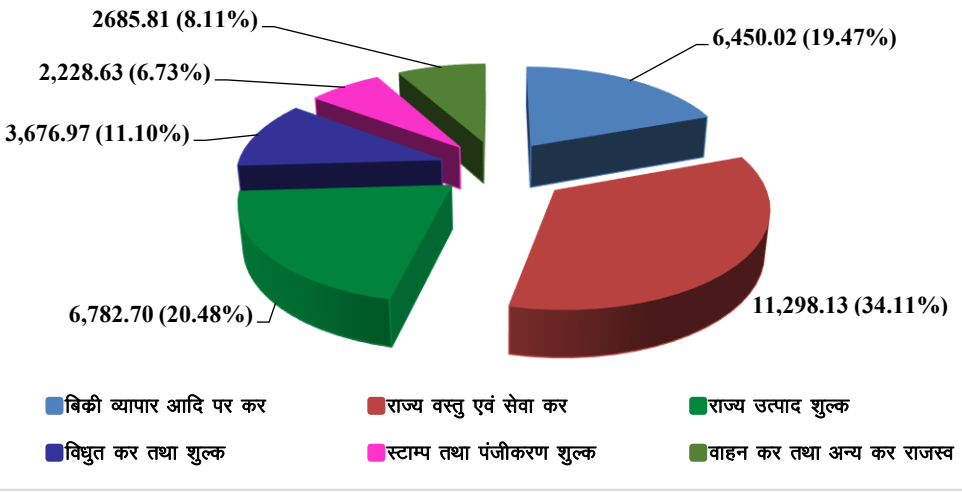

अवधि 2018–23 के बजट अनुमान (ब.अ.) एवं संगृहित स्वयं के कर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियाँ ***तालिका 1.2*** में दी गई है:

तालिका 1.2–शासन द्वारा संग्रहित स्वयं के कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष		2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	वर्ष 2022–23 में 2021–22 की तुलना में वास्तविक के अंतर का प्रतिशत
बिक्री व्यापार आदि पर कर	**ब.अ.**	3,718.42	3,788.30	4,144.86	4,356.89	4,929.32	**(+)20.76**
	वास्तविक	4,087.72	3,931.37	4,236.04	5,341.10	6,450.02	
राज्य वस्तु एवं सेवा कर[1]	**ब.अ.**	5,006.65	8,201.70	10,700.92	9,337.61	11,064.45	**(+)19.13**
	वास्तविक	8,203.41	7,894.82	7,925.01	9,483.48	11,298.13	
राज्य उत्पाद शुल्क	**ब.अ.**	4,355.00	5,000.00	5,199.72	5,500.00	5,499.99	**(+)32.82**
	वास्तविक	4,489.03	4,952.36	4,635.80	5,106.61	6,782.70	
विद्युत कर तथा शुल्क	**ब.अ.**	1,850.00	2,090.00	2,200.00	2,450.00	2,850.00	**(+)29.65**
	वास्तविक	1,790.27	1,837.00	2,341.41	2,836.05	3,676.97	
स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क	**ब.अ.**	1,790.00	1,550.00	1,705.00	1,650.00	2,000.00	**(+)14.56**
	वास्तविक	1,108.46	1,634.63	1,584.94	1,945.36	2,228.63	
माल तथा यात्री कर	**ब.अ.**	5.63	0.00	3.00	4.17	4.72	**(+)24.41**
	वास्तविक	54.51	40.51	79.83	47.90	59.59	
वाहन कर	**ब.अ.**	1,500.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,700.00	**(+)27.99**
	वास्तविक	1,204.85	1,274.85	1,148.07	1,372.51	1,756.62	
भू–राजस्व	**ब.अ.**	660.00	700.00	600.00	850.00	950.00	**(-)8.57**
	वास्तविक	487.57	551.50	937.71	949.94	868.56	
अन्य कर राजस्व[2]	**ब.अ.**	0.00	0.00	1.5	1.34	1.51	**(+)33.33**
	वास्तविक	1.44	0.81	0.39	0.78	1.04	
योग	**ब.अ.**	**18,885.70**	**22,930.00**	**26,155.00**	**25,750.01**	**29,000.00**	**(+)22.30**
	वास्तविक	**21,427.26**	**22,117.85**	**22,889.20**	**27,083.73**	**33,122.26**	

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के सम्बंधित वर्ष के वित्त लेखे और छत्तीसगढ़ शासन की बजट पुस्तिका के अनुसार बजट अनुमान)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है की भू–राजस्व के अतंर्गत प्राप्तियाँ, राज्य शासन के 2018–20 एवं 2022–23 बजट के अपेक्षित अनुमानों के अनुरूप नहीं रहे लेकिन 2020–21 एवं 2021–22 के दौरान बजट से अधिक रहे। राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस. जी.एस.टी.) के अतर्गत प्राप्तियाँ बजट अनुमानों 2019–21 से कम रहे लेकिन 2018–19 एवं 2021–23 के दौरान के बजट अनुमानों से अधिक रहे। राज्य वस्तु एवं सेवा कर

[1] राज्य वस्तु एवं सेवा कर 01 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर जैसे की केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, औषधीय और शौचालय तैयारी अधिनियम के तहत लगाया गया उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क (सी.वी.डी.), सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क (एस.ए.डी.), राज्य अप्रत्यक्ष कर जैसे की मूल्य सवंर्धित कर, केंद्रीय बिक्री कर, मनोंरजन कर एवं क्रय कर को राज्य वस्तु एवं सेवा कर में शामिल किया गया है।

[2] 'अन्य' में सम्मिलित वर्ष 2022–23 के दौरान निम्नलिखित राजस्व मदों में वास्तविक प्राप्तियाँ होटल प्राप्ति कर (₹ 62.60 लाख/ब.अ.–₹ 134.90 लाख); आय तथा व्यय पर अन्य कर (₹ 41.5 लाख/ब. अ.–₹ 15.8 लाख); एवं वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क (₹ 0.33 लाख/ब.अ.–₹ 0.50 लाख)।

2018–23 के दौरान राज्य के कर राजस्व का एकल सबसे बडा स्रोत रहा। माल तथा यात्री कर 2018–23 के दौरान बजट अनुमान से अधिक रहा जबकि वाहन कर 2018–22 के दौरान अपेक्षित अनुमानों के अनुरूप नहीं रहा लेकिन 2022–23 में बजट अनुमानों से अधिक रहा।

सम्बंधित विभागों द्वारा 2022–23 के राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताये गए।

बिक्री, व्यापार आदि पर कर : पेट्रोलियम पदार्थ की खपत बढने के कारण 2022–23 के दौरान बिक्री व्यापार आदि पर कर की प्राप्ति 2021–22 की तुलना में 20.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर : वर्ष 2021–22 की तुलना में 2022–23 में एस.जी.एस.टी. की प्राप्ती में 19.13 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः करदाताओं की संख्या में वृद्धि एवं अप्रयुक्त आगत कर क्रेडिट की वापसी के कारण हुई।

राज्य उत्पाद शुल्क : राज्य उत्पाद शुल्क से राजस्व की 32.82 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा अवैध मदिरा पर नियंत्रण एवं मदिरा दुकानों के कुशल प्रबंधन के कारण हुई।

विद्युत कर तथा शुल्क : पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व कर में 29.65 प्रतिशत की 2022–23 में वृद्धि उद्योग से बकाया वसूलियों की प्राप्ति एवं सभी श्रेणियों में विद्युत टैरिफ की वृद्धि के कारण हुई।

वाहन कर : इस मद में 2022–23 के दौरान 27.99 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः वाहनों के पंजीकरण की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि के कारण हुई।

माल तथा यात्री कर : माल तथा यात्री कर 2022–23 में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृद्धि लंबित बकाया प्राप्त होने के कारण हुई।

स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क : कर राजस्व 2022–23 में 14.56 प्रतिशत की वृद्धि दस्तावेजों के पंजीकरण की संख्या पिछले वर्ष 2021–22 की तुलना में अधिक रहने से हुई।

भू–राजस्व : पिछले वर्ष 2021–22 की तुलना में 2022–23 में 8.57 प्रतिशत की कमी मुख्यतः सर्वेक्षण एवं निपटान के मामले में कम प्राप्ति के कारण हुई।

1.2.2 कर–भिन्न राजस्व

वर्ष 2022–23 के कर–भिन्न राजस्व का विच्छेद ***चार्ट 1.3*** में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.3: वर्ष 2022–23 के कर भिन्न राजस्व का विच्छेद (₹ करोड में)

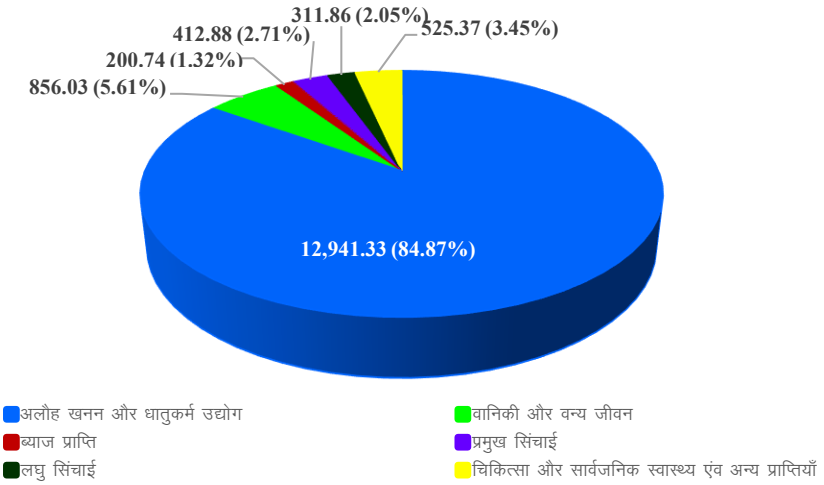

अवधि 2018–23 के दौरान उदग्रहित कर भिन्न राजस्व का विवरण ***तालिका 1.3*** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3–शासन द्वारा उदग्रहित कर भिन्न राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष		**2018–19**	**2019–20**	**2020–21**	**2021–22**	**2022–23**	**2022–23 में 2021–22 की तुलना में अंतर का प्रतिशत**
अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	**ब.अ.**	6,000.00	6,500.00	6,670.00	6,600.00	13,000.0	**(+)5.17**
	वास्तविक	6,110.24	6,195.73	5,538.49	1,2305.39	12,941.33	
वानिकी तथा वन्य प्राणी	**ब.अ.**	600.00	600.00	700.00	700.00	500.00	**(+)146.77**
	वास्तविक	236.73	249.37	277.08	346.90	856.03	
ब्याज प्राप्तियां	**ब.अ.**	132.93	126.83	194.49	314.83	262.66	**(+)45.51**
	वास्तविक	189.55	232.41	89.77	137.96	200.74	
वृहद सिंचाई	**ब.अ.**	738.89	791.67	749.94	688.08	688.08	**(-)1.27**
	वास्तविक	521.81	437.04	445.91	418.17	412.88	
लघु सिंचाई	**ब.अ.**	302.76	324.39	330.42	31726	317.26	**(+)121.81**
	वास्तविक	164.06	287.54	232.72	140.60	311.86	
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	**ब.अ.**	45.99	44.73	62.10	91.12	99.89	**(-)25.79**
	वास्तविक	52.86	88.88	95.75	101.53	75.35	
लोक निर्माण कार्य	**ब.अ.**	43.00	50.00	95.83	54.25	72.59	**(-)31.88**
	वास्तविक	73.57	45.98	32.23	22.43	15.28	
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	**ब.अ.**	42.82	28.41	47.34	44.12	51.21	**(+)27.96**
	वास्तविक	42.10	35.75	35.67	32.91	42.11	

अन्य सामाजिक सेवाएं	**ब.अ.**	30.00	20.50	11.01	12.69	13.79	**(+)239.62**
	वास्तविक	8.12	16.73	16.02	7.42	25.20	
शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति	**ब.अ.**	28.03	21.20	16.09	22.78	27.90	**(-)31.41**
	वास्तविक	14.04	14.83	18.63	42.03	28.83	
अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ	**ब.अ.**	205.58	317.27	337.38	404.82	466.62	**(+)14.46**
	वास्तविक	289.94	329.51	354.68	295.83[3]	338.60	
योग	**ब.अ.**	**8,170.00**	**8,825.00**	**9,214.60**	**9,249.95**	**15,500.00**	**(+)10.12**
	वास्तविक	**7,703.02**	**7,933.77**	**7,136.95**	**13,851.17**	**15,248.21**	

(स्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वर्ष 2022–23 वित्त लेखे और छत्तीसगढ़ शासन के वर्ष 2022–23 की बजट पुस्तिका अनुसार बजट अनुमान)

संबधित विभागों द्वारा 2022–23 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों में अंतर एवं कुछ मामलों में प्राप्तियों में कमी के निम्नलिखित कारण बताये गए।

अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगः पिछले वर्ष की तुलना में 5.17 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2021 के अनुसार लोहा अयस्क पर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा देय रॉयल्टी की अतिरिक्त राशि (150 प्रतिशत) के कारण हुई।

वानिकी तथा वन्य प्राणीः 2022–23 में प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 146.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण निर्धारित तिथियों पर लकडी की नीलामी से वन उपज की समय पर बिक्री, वन क्षेत्रों में खनिजों और वन उपज के परिवहन के लिए ट्रांजिट पास शुल्क को ₹ 15 से बढ़ाकर ₹ 57 करना और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 18 नवंबर 2022 के आदेशों के अनुसार लंबित खनिज ट्रांजिट पास शुल्क की वसूली थी।

लघु सिंचाईः इस मद के तहत प्राप्तियों में 2022–23 में 121.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण सतह पर उपलब्ध जल और भूजल से प्राप्तियों में वृद्धि थी।

लोक निर्माणः इस शीर्ष के तहत प्राप्तियों में 2022–23 में 31.88 प्रतिशत की कमी आई। प्राप्तियाँ में कमी का कारण विभाग से मांगा गया। बार–बार अनुस्मारक (अप्रैल 2024, जुलाई 2024, अगस्त 2024 और अक्टूबर 2024) के बावजुद, दिसंबर 2024 तक जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

[3] अन्य कर–भिन्न प्राप्तियों में वर्ष 2022–23 में निम्न मदों में वास्तविक प्राप्तियाँ सम्मिलित हैः लाभांश तथा लाभ (₹ 6.20 करोड); लोक सेवा आयोग (₹ 1.83 करोड); पुलिस (₹ 47.34 करोड); जल (₹ 4.27 करोड); लेखन सामग्री तथा मुद्रण (₹ 3.17 करोड); पेशन तथा अन्य सेवा निवृत लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली (₹ 22.17 करोड); विविध सामन्य सेवायें (₹ 83.45 करोड); परिवार कल्याण (₹ 0.02 करोड); जल पूर्ति तथा सफाई (₹ 1.36 करोड); आवास (₹ 5.36 करोड); नगर विकास (₹ 31.65 करोड); सूचना एवं प्रचार (₹ 0.22 करोड); श्रम तथा रोजगार (₹ 34.92 करोड); सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (₹ 9.30 करोड); फसल कृषि कर्म (₹ 22.56 करोड); पशुपालन (₹ 6.36 करोड); मछली पालन (₹ 6.36 करोड); खाद्य भण्डारण तथा भंडागारण (₹ 1.03 करोड); सहकारिता (₹ 2.23 करोड); अन्य कृषि कार्यक्रम (₹ 1.70 करोड); अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम (₹ 5.98 करोड); माध्यम सिंचाई (₹ 6.25 करोड); ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग (₹ 2.70 करोड); उद्योग (₹ 13.13 करोड); नगर विमानन (₹ 0.00 करोड); सडक तथा पुल (₹ 1.18 करोड); एवं अन्य सामान्य आर्थिक सेवाऐं (₹ 17.83 करोड)।

शिक्षा, खेल कूद, कला एवं संस्कृतिः इस मद के तहत पिछले वर्ष की तुलना में 2022–23 के दौरान राजस्व में 31.41 प्रतिशत की कमी आई, जिसका मुख्य कारण सरकारी स्कूलों की प्राप्तियों में कमी थी।

अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँः कर भिन्न प्राप्तियों में 2022–23 में 15.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण लाभांश और लाभ, पुलिस, विविध सामान्य सेवाएं, श्रम और रोजगार, शहरी विकास, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, और आवास के तहत राजस्व में वृद्धि थी।

1.3 लेखा परीक्षा का प्राधिकार

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 से 151 एवं नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 (डीपीसी अधिनियम) से व्युत्पन्न होते हैं। नियंत्रक महालेखापरीक्षक सरकार की प्राप्तियों को डीपीसी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत लेखापरीक्षा करते हैं।

1.4 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2023 की स्थिति में छः विभागों[4] का बकाया राजस्व ₹ 8,585.80 करोड था जिसमें ₹ 4,371.29 करोड (50.91 प्रतिशत) पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जैसा कि ***तालिका 1.4*** में वर्णन किया गया है।

तालिका 1.4–बकाया राजस्व 31 मार्च 2023 की स्थिति में

(₹ करोड़ में)

स. क.	राजस्व शीर्ष	कुल बकाया राशि	पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि	बकाया प्रकरणों के संबंध में विभाग का उत्तर
1.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	0.77	0.77	विभाग ने कहा है कि खनन अधिकारीयों को विशेष अभियान द्वारा बकाया वसूलने के निर्देश जारी किए गए है। इसके अतिरिक्त सचिव खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की समीक्षा बैठक में जिलों को निर्देश दिए गए है कि अत्यंत पुराने बकाया राशि के अपलेखन के लिए प्रस्ताव भेजें।
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	56.45	55.28	144 प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आर आर सी) जारी किया गया; 28 प्रकरण न्यायालय में लंबित है; 22 मामलों में न्यायालय से स्थगन आदेश एवं 13 प्रकरण अन्य में लंबित तथा 67 प्रकरणों में चूक कर्ताओं का चल/अचल सम्पती का विवरण उपलब्ध नहीं था।
3.	वाहन कर	76.46	58.41	वाहनों में तकनीकी खराबी एवं वाहनों के गैर संचालन से कर का भुगतान निश्चित अवधि में नही किए जाने से उत्पन्न ब्याज/शास्ति के कारण बकाया सृजित हुई।
4.	विद्युत कर तथा शुल्क	4,545.80	2,129.56	बकाया राजस्व के लिए उपभोक्ताओं को समयबध्द तरीके से मांग पत्र जारी किए जा रहे है। जिन प्रकरणों में वसूली नहीं की जा रही है उन मामलों को सम्बंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में राजस्व वसूली प्रमाणपत्र पंजीबद्ध किया जा रहा है। वर्तमान में सात प्रकरण न्यायालय में लंबित है; 19

[4] खनिज साधन; राज्य उत्पाद शुल्क; विद्युत; स्टाम्प तथा पंजीकरण और राज्य कर विभाग।

				प्रकरणों में न्यायालय से स्थगन के आदेश तथा 51 प्रकरण 'अन्य' के अंतर्गत लंबित है।
5.	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	69.01	54.44	1039 प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आर आर सी) जारी किया गया; 109 प्रकरण न्यायालय में लंबित है; 15 मामलों में न्यायालय से स्थगन आदेश एवं दो प्रकरणों में चूक कर्ताओं के चल/अचल सम्पत्ती का विवरण उपलब्ध नही है।
6.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,837.39	2,072.83	50,198 प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आर आर सी) जारी किया गया; ₹ 324.75 करोड़ के प्रकरण न्यायालय में लंबित है; ₹ 1,188.87 करोड़ के मामलों में न्यायालय से स्थगन आदेश; ₹ 418.56 करोड़ के प्रकरणों में चूक कर्ताओं के चल/अचल सम्पत्ती का विवरण उपलब्ध नही है।
योग		**8,585.80**	**4,371.29**	

(स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा जानकारी प्रदाय की गई)

कुछ विभागों, जैसे वन, लोक निर्माण, भू–राजस्व और जल संसाधन, से 31 मार्च 2023 तक बकाया राजस्व की जानकारी लंबित है।

हितधारकों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए रिपोर्ट के प्रारूप और गुणवत्ता में सुधार के हमारे प्रयास में, इस कार्यालय ने राज्य के आठ प्रमुख राजस्व विभागों, जैसे राज्य कर, खनिज साधन, आबकारी, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण, परिवहन, वन, ऊर्जा और भू–राजस्व से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व) पर सुझाव मांगे (अगस्त 2025) गये थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर लंबित मामलों का आकलन करने के लिए, जिलेवार/क्षेत्रवार/वृत्तवार राजस्व बकाया का भी अनुरोध किया गया। परंतु केवल खनिज साधन विभाग के द्वारा राजस्व बकाया का जिलावार विवरण प्रदान किया गया एवं अन्य सात विभागों ने आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की। यह मामला राजस्व विभागों के सचिवों/विभागाध्यक्षों के संज्ञान में भी लाया गया।

उपरोक्त आंकड़ों के अभाव में, प्रत्येक विभाग का जिलेवार/क्षेत्रवार/वृत्तवार विश्लेषण नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सूचना/जानकारी विभागाध्यक्षों के पास आसानी से उपलब्ध हो तथा समय पर लेखापरीक्षा को भी उपलब्ध हो।

1.5 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया

1.5.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुसरण साराशं स्थिति

वित्त विभाग द्वारा जारी किये गए निर्देशानुसार, लेखापरीक्षा विधानसभा पटल पर प्रस्तुत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कंडिकाओं के व्याख्यात्मक उत्तर (विभागीय टिप्पणी) सभी विभागों को छत्तीसगढ़ के विधानसभा के सचिवालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) के समाप्ति वर्ष 31 मार्च 1999 से 31 मार्च 2021 की 556 कंडिकाओं जिनमें निष्पादन लेखापरीक्षायें सम्मिलित है, को राज्य विधानसभा में मार्च 1999 एवं जुलाई 2023 के मध्य प्रस्तुत किया गया।

लोक लेखा समिति द्वारा 1998–99 से 2020–21 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बंधित 227 चुनिंदा कंडिकाओं में से 221 कंडिकाओं पर चर्चा की गई एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 141 कंडिकाओं पर अनुशंसा दी गयी। परन्तु अप्रैल 2024 की स्थिति में लोक लेखा समिति द्वारा 1998–99 एवं 2020–21 के मध्य दिए गये 75 अनुशंसाओं पर कार्यवाही

टीप प्राप्त नहीं हुए। वर्ष 2022–23 के दौरान लोक लेखा समिति में राजस्व प्रतिवेदनों के 16 कंडिकाओं पर चर्चा की गई।

1.5.2 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

शासकीय विभागों एवं कार्यालयों के लेखापरीक्षा समाप्ति उपरान्त संबंधित कार्यालय प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किया जाता है तथा उसकी प्रति संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को प्रेषित की जाती है, ताकि उस पर सुधारात्मक कार्यवाही एवं निगरानी की जा सके। गंभीर वित्तीय अनियमिततायें विभाग के प्रमुख और शासन को प्रतिवेदित की जाती है।

31 मार्च 2023 तक की जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में पाया गया कि 1994–95 एवं 2022–23 के मध्य जारी 2377 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 10,401 कंडिकायें अप्रैल 2024 के अंत तक बकाया थे। विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रेक्षणों का विवरण ***तालिका 1.5*** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.5–विभागवार लंबित निरीक्षणों की स्थिति

स. क.	विभाग का नाम	राजस्व की प्रकृति	नि. प्र. का प्रकार	बकाया नि. प्र. की संख्या 2022–23	बकाया लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या 2022–23
1	स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण	स्टाम्प शुल्क तथा पंजीयन शुल्क	**राजस्व**	271	835
			व्यय	13	58
2	परिवहन	वाहन कर	**राजस्व**	209	1,530
			व्यय	69	148
3	वन	वानिकी तथा वन्य प्राणी	**राजस्व**	1	3
			व्यय	24	1,671
4	राज्य कर विभाग	बिकी, व्यापार आदि पर कर	**राजस्व**	550	3,645
			व्यय	80	117
5	खनिज साधन	अलौह खनन तथा धातुकर्म उघोग	**राजस्व**	200	904
			व्यय	77	322
6	आबकारी	राज्य उत्पाद	**राजस्व**	234	448
			व्यय	41	75
7	भू–राजस्व	भू–राजस्व	**राजस्व**	599	1,894
			व्यय	50	126
8	ऊर्जा	विघुत कर तथा शुल्क	**राजस्व**	25	100
			व्यय	10	23
9	अन्य कर विभाग	अन्य प्राप्तियाँ	**राजस्व**	288	1,042
			व्यय	1	10
राजस्व				**2,377**	**10,401**
व्यय				**365**	**2,550**
योग				**2,742**	**12,951**

वर्ष 2022–23 के दौरान जारी किये गये 92 निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 43[5] निरीक्षण प्रतिवेदनों (46.74 प्रतिशत) के प्रथम उत्तर लेखापरीक्षा को कार्यालय प्रमुख से प्राप्त नहीं हुए है।

निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर कार्यवाई न किये जाने से इन प्रतिवेदनों में बताई गई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को जारी रखने का खतरा होता है। इसके साथ ही, इससे शासन प्रक्रिया में आंतरिक नियंत्रणों का कमजोर होना, सार्वजनिक वस्तुओं/सेवाओं की असंगत और अप्रभावी आपूर्ति, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और सार्वजनिक खजाने को नुकसान, होने की संभावना भी बढ जाती है।

1.5.3 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

शासन द्वारा लेखापरीक्षा समिति की स्थापना निरीक्षण प्रतिवेदन और निरीक्षण प्रतिवेदनों की कंडिकाओं के निराकरण की प्रगति की निगरानी और प्रगति को त्वरित करने के लिए किया जाना है। वर्ष 2022–23 के दौरान शासन द्वारा कोई भी लेखापरीक्षा समिति बैठक आयोजित नहीं की गई।

अनुशंसाः

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर त्वरित और उपर्युक्त प्रतिक्रिया दी जाए, साथ ही उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाई की जाए जिनके द्वारा निर्धारित समय सीमा पर निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं का जवाब प्रस्तुत नही किया गया है।

1.6 अभिस्वीकृति

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ द्वारा लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान राज्य शासन के अधिकारीयों तथा विभिन्न अन्य विभागों द्वारा प्रदत सहयोग एवं सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

[5] वन–20; खनिज साधन–14; परिवहन–5; राज्य आबकारी–1; एवं स्टाम्प तथा पंजीयन–3।